



5

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE : MADHYA PRADESH

PBR/नगरनी/देवास/नू-रा/2017/2400 Case No.../2017-18

Exxolits Private Limited
Having its Office at 5th Floor,
D.B.City Mall, Corporate Park,
Opposite M.P.Nagar, Zone-1,
Bhopal

Applicant

Through its authorized Director,
Shri. Rajeev Chaturvedi,
Shri. Chit C.P. Chaturvedi,

Versus

1. Sharda Real Estate Private Limited,
Having its Head Office at Chota Malsapura
Tal. Siya, Talasil and District Dewas
Through its Director Shri Rakesh Kumar
Shri. Shri Ramesh Kumar Agarwal

2. State of Madhya Pradesh,
Through Collector of Stamps/Registrar,
Dewas, M.P.

Non-Applicants

REPRESENTATION UNDER SECTION 11-C OF INDIAN STAMP ACT

Being aggrieved with the Order dated 26/2/2016 passed in Case No.18/B-105/2013-14 and RRC Case No.114/A-76/2015-16 by Collector of Stamps and Senior District Registrar, Dewas presided by Shri S.L.Solanki, the Applicant prefers this representation on the following and amongst other grounds and prays inter alia, that the impugned order be quashed.



राजु साहू
श्री. राजीव चतुर्वेदी
श्री. चित्तू चतुर्वेदी
श्री. राकेश कुमार
श्री. रामेश कुमार अग्रवाल

आन्ध्र प्रदेश / शासनालय
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक BR/निग/देकास/आ.श./2017/2400

जिला देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमापकों आदि के हस्ताक्षर
1-11-2017	<p>आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-2-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47(क)(3) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है जो कि अपीलीय आदेश है और अपीलीय आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रतिबंधित है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>  (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>